राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

संख्या–07/2025

प्रेस–विज्ञप्ति

सहकारिता आंदोलन की जड़ें भारत की संस्कृति और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं–राज्यपाल

पटना 22 जनवरी, 2025 :– माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खां ने ऊर्जा ऑडिटोरियम, पटना में आयोजित सहकारी चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ एवं राज्यस्तरीय के०सी०सी० मेगा शिविर का उद्घाटन किया तथा सहकारी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन की जड़ें भारत की संस्कृति और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने श्रीमदभगवद्गीता के एक श्लोक का उद्धरण देते हुए कहा कि एक दूसरे का सहयोग करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए ही परम श्रेय को प्राप्त किया जा सकता है। यह आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का मंत्र है जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने इस ग्रंथ में बताया है।

राज्यपाल ने कहा कि एकता और आपसी सहयोग के इस स्थायी सिद्धांत ने सहकारी समितियों के विकास को महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में बढ़ावा दिया है जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती हैं और जमीनी स्तर पर विकास को आगे बढ़ाती हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में देखी जा सकती हैं, जब ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीब और असुरक्षित बना दिया था।

राज्यपाल ने कहा कि भारत में सहकारी समिति की औपचारिक मान्यता 20वीं सदी की शुरूआत में पहली सहकारी समिति की स्थापना के साथ शुरू हुई। वर्ष 1904 में भारतीय सहकारी अधिनियम लागू किया गया, जिससे भारत में सहकारी समितियों की स्थापना की नींव रखी गयी।

उन्होंने कहा कि सहकारी समिति मॉडल ने समानता, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक लाभ को बढ़ावा दिया, जो स्वतंत्रता के व्यापक भारतीय संघर्ष के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसने राजनीतिक और सामाजिक एकता के लिए मंच भी तैयार किया तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

राज्यपाल ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से चल रहा सहकारिता आंदोलन आज विराट रूप धारण कर चुका है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके चलते देशवासी आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं और बेरोजगारी पर भी इसके माध्यम से नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है।

आगे पृष्ठ....2 पर

उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सहकारी आंदोलन ने देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) के गठन के उपरांत भारत में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा और क्षमता प्राप्त हुई है तथा इसे एक नई गति और दिशा मिली है। इसने इस क्षेत्र की उन्नति के लिए एक मजबूत प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों का नेतृत्व किया है। उन्होंने सहकारिता के कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया।

राज्यपाल ने कहा कि एमओसी बहु–राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और सहकारी समितियों के लिए कारोबार को सुगम बनाने को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर विशेष जोर दे रहा है। मंत्रालय के प्रयास सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केन्द्रित हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से वंचित ग्रामीण समुदायों पर जोर दिया जाता है। अपनी पहलों के माध्यम से एमओसी का उद्देश्य हर गाँव को सहकारी समितियों से जोड़ना है।

राज्यपाल ने कहा कि बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा भी इस क्षेत्र अनेक कार्य किये जा रहे हैं और आज का कार्यक्रम उन्हें गति देने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है।

उन्होंने कहा कि राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम कर रही है, जिसमें धान, गेहूँ एवं मक्का फसलों की अधिप्राप्ति की जाती है। इस खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। इस वर्ष राज्य का 45 लाख मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है तथा किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300/– रूपये प्रति क्विंटल (साधारण धान) तथा 2320/– रूपये प्रति क्विंटल (ग्रेड 'ए' धान) की दर से क्रय किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनसे खरीदे गए धान का मूल्य 48 घंटों के भीतर पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे उनके खाता में भेजा जा रहा है। राज्य के रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों से धान खरीदा जा रहा है जिसमें रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल तथा गैर रैयत किसानों से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जा सकता है। इसी प्रकार वर्ष 2025–26 की गेहूँ अधिप्राप्ति अप्रैल या मई माह से आरंभ की जाएगी, जिसमें किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425/– रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ क्रय किया जाएगा।

आगे पृष्ठ....3 पर

राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसानों के फसल की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मौसम में उत्पादित किए जाने वाले फसलों के पैदावार में होने वाले क्षति के कारण 20 प्रतिशत से कम उत्पादन के ह्रास की स्थिति में अधिकतम 15000/– तथा 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन के ह्रास होने पर अधिकतम 20,000/– रूपये सहायता राशि DBT के माध्यम से लाभुक किसानों को देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ वर्ष 2018 से निरंतर राज्य के किसानों को मिल रहा है। राज्य के पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा आधारभूत संरचना निर्माण तथा कृषि संयंत्र वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 15.13 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जा चुका है। अबतक 468 राईस मिलों का निर्माण कर लिया गया है, जबकि 32 राईस मिल निर्माणाधीन हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में ''बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना'' चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा ग्राहकों को गुणवत्ता पूर्ण सब्जी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रखंड स्तर के प्रखंडस्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ से लेकर राज्य स्तर तक ''वेजफेड'' का गठन किया जा चुका है। इन दो स्तरों के बीच प्रमंडल स्तरीय संघ का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन किसानों को हाल ही में प्रोसेसिंग वेराइटी के टमाटर एवं आलू की खेती के लिए पौधे और बीज उपलब्ध कराए गए है तथा खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इनके द्वारा उत्पादित प्रोसेंसिंग वेराइटी के टमाटरों की अधिप्राप्ति कर प्रोसेसिंग शुरू कर दिया गया है, शीघ्र ही आलूओं की भी अधिप्राप्ति कर प्रोसेसिंग कर विपणन किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के किसानों के सब्जी को क्रय कर उन्हें सीधे बाजार में बेचने तथा प्रसंस्करण यूनिटों में भेजने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने का आश्वासन मिला है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पैक्सों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है जिसमें प्रथम चरण में 4477 पैक्सों को कम्प्यूटराइज किया जा चुका है, इसमें से 3739 पैक्सों को गो–लाइव कर दिया गया है। इस योजना से पैक्सों के कार्यकलापों में पारदर्शिता आयी है। लगभग 3333 पैक्सों का सिस्टम आधारित अंकेक्षण भी किया जा रहा है जो राज्य की सहकारी समितियों के इतिहास में एक ''मील का पत्थर'' है। इसके अलावा पैक्सों में पेट्रोल/डीजल आउटलेट की स्थापना की जा रही है। राज्य के 11 पैक्सों द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है, जिसमें से 2 पैक्सों (एक भागलपुर तथा एक पश्चिमी चंपारण) में भारत सरकार की अनुमति मिल चुकी है।

राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम न केवल सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता और महत्व को भी उजागर करेगा।

आगे पृष्ठ....4 पर

सहकारी चौपाल न केवल सहकारिता के विचार को गाँव–गाँव तक ले जायेगा बल्कि यह संवाद का एक माध्यम भी बनेगा। चौपाल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और दूर–दराज के इलाकों में रहने वाले लोग सहकारी संस्थाओं और लाभों से अवगत हो सकेंगे तथा सहकारिता के प्रति उनमें विश्वास और बढ़ेगा तथा इसमें उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।

इस अवसर पर माननीय सहकारिता मंत्री डॉ० प्रेम कुमार, माननीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्रीमती रेणु देवी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की निबंधक, श्रीमती इनायत खान, सहकारिता विभाग के पदाधिकारीगण, राज्य के विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण एवं सदस्यगण तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

.....